

15-6-16 पत्रावली का लोके अडमिन के पेशदुर्षी
पक्षवातन के उपरिखित दोष रजनीनामा
रूप काशय का पेश किया है कि
विकारित 200 खण्ड नर 4384 गांधी
प्रोकोदा पर वादी का कब्जा नहीं है
इसलिए वादी के दावे में धारनप्रद
अदिष्टेन के समुदा वादी यह दावा

अध्यक्ष
लोक अदालत
नजीरपुर

वापस लेना - वाहता है तथा वादी को
नफा दावा पेश करने की छूट दी जाय
अहदावा वापस लोय निशोल
निशोल के आधार पर वापस
लोय दिया जावे जिसमे उल्लिखित
को कोई कापली नही हो

रजि
के

निशान

हुकम

साल

रजि

रजि

अतः हुवाकि
रखीनामा वादी को नफा दावा
पेश करने की छूट दी जाय
अहदावा निशोल के आधार पर
खारिज किया जाता है पचडिठे
पुत्रक से जारी हो पत्रावली पेशक
शुभपदोश नम्बर से कर हो
कदतकमीक दाविक दलाल है

सदस्य
लोक अदालत
वजीरपुर

सदस्य
लोक अदालत
वजीरपुर

अध्यक्ष
लोक अदालत
वजीरपुर
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी